

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 02/भू0अ0नि0 (3) यो0 आवंटन (सीमा स्तम्भ)- 02/2024...13233

प्रेषक,

जय सिंह, मा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सीतामढ़ी / पूर्णियाँ / नालन्दा / लखीसराय /

पटना, दिनांक :- 08/08/2024

विषय :-

मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 103- भू-अभिलेख - उप
शीर्ष -0106- सीमा स्तम्भों का परिचालन- माँग संख्या- 40- विपत्र कोड-
40-2029001030106 के अन्तर्गत ईकाई कोड- 27 01 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधि
का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत ग्राम के
त्रि-सीमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के निर्माण एवं अधिष्ठापन किया जाना है।

अतः त्रि-सीमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के अधिष्ठापन हेतु आपके अधियाचना के
आलोक में निम्नानुसार आवंटन निर्गत किया जा रहा है :-

क्र०सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	सीतामढ़ी	30,00,000
2	पूर्णियाँ	2,00,000
3	नालन्दा	11,00,000
4	लखीसराय	3,70,000
कुल योग :-		46,70,000

(छियालीस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 12492 दिनांक 15.06.2024 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/ईकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001030106 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। अतनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) यो0 आवंटन (सीमा स्तम्भ)- 02/2024¹³²³³.....पटना, दिनांक 08/08/2024
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) यो0 आवंटन (सीमा स्तम्भ)- 02/2024¹³²³³.....पटना, दिनांक 08/08/2024
प्रतिलिपि:- सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सीतामढी/पूर्णियाँ/नालन्दा एवं लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) यो0 आवंटन (सीमा स्तम्भ)- 02/2024¹³²³³.....पटना, दिनांक 08/08/2024
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) यो0 आवंटन (सीमा स्तम्भ)- 02/2024¹³²³³.....पटना, दिनांक 08/08/2024
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
08/08/24